

06/8
25

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाप
उफर। वादी वकील व वादी को संशोधित
वाद-पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20/12
से लगातार अवसर दिए जाने में वाद
की आज दिनांक तक संशोधित वाद
पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। जिससे
वादी में उक्त वाद-पत्र को आगे
चलाने की राय प्रारिण नहीं होगी है।
जिस तरह में वादी का वाद-पत्रावली
आदेशों में उपलब्ध है कि 09/10/25 में
स्वादि किता जाय पत्रावली को
थुमार होकर नमूदा को
प्रति शार्विल उपलब्ध है। वाद

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)